# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 12/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. श्री पप्पू कुमार पुत्र श्री सुखपाल जाति बैरवा निवासी कस्बा बालाजी थाना मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार ।
: श्री पप्पू कुमार पुत्र श्री सुखपाल जाति बैरवा – गैर सायल ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18.01.2019

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा गैर सायल श्री पप्पू कुमार पुत्र श्री सुखपाल जाति बैरवा निवासी कस्बा बालाजी थाना मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा का रहने वाला है जो अवैध रूप से शराब बेचने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। इसके विरूद्ध थाना मेहन्दीपुर बालाजी में निम्नलिखित 04 मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा 03 मुकदमो में अदालत से सजा (जुर्माना) होना तथा 01 मुकदमा जैर ट्रायल है–

| क.स. | मु.न. | दिनांक | धारा | चार्जशीट नं. | दिनांक | फैसला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43/14 | 09.03.14 | 19/54 आब.अधि | 47/14 | 26.05.14 | सजा दि. 03.12.14 |
| 2 | 03/15 | 05.01.15 | 19/54 आब.अधि | 01/15 | 19.02.15 | सजा दि. 21.04.15 |
| 3 | 23/15 | 17.03.15 | 19/54 आब.अधि | 15/15 | 31.03.15 | सजा दि. 10.07.15 |
| 4 | 05/16 | 08.01.16 | 19/54 आब.अधि | 04/16 | 25.01.16 | जैर ट्रायल |

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये। गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

प्रकरण संख्या : 12/2016, गुण्डा एक्ट

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना मेहन्दीपुर बालाजी की रिपोर्ट में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा चार बार अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र मेहन्दीपुर बालाजी में अवैध रूप से शराब बेचकर वातावरण को दूषित करता है। गैर सायल की गतिविधियों से समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा तथा क्षेत्र में अशान्ति होने का भी खतरा है। श्री पप्पू कुमार पुत्र श्री सुखपाल जाति बैरव निवासी कस्बा बालाजी थाना मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा के इलाके में रहने से अवैध रूप से शराब बेचने के दुष्प्रेरण एवं शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है गांव में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित प्रकरणो में से 03 प्रकरणो का निस्तारण हो चुका है एवं 01 प्रकरण का निस्तारण होना शेष है। जो बहुत पुराने है। प्रार्थी बहुत ही गरीब हैं जो अब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के खिलाफ चार प्रकरण दर्ज हुए है जिनमें 03 प्रकरणों में सजा हुई है तथा 01 प्रकरण निस्तारण से शेष है। जिनमें गैर सायल उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे समाज कंटकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे समाज कंटक अपनी कार गुजारियों के द्वारा माहौल को खराब नहीं कर सके।

अतः उक्त विवेचनानुसार गैर सायल श्री पप्पू कुमार पुत्र श्री सुखपाल जाति बैरवा निवासी कस्बा बालाजी थाना मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा, को दिनांक 19.01.2019 से 17.02.2019 तक 30 दिवस की समयावधि के लिए थाना मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना लालसोट जिला दौसा को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में थाना क्षेत्र लालसोट में निवास करते हुए थानाधिकारी लालसोट को उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं थानाधिकारी थाना लालसोट जिला दौसा, आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। सम्बन्धित को तहरीर जारी हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official